

हरियाणा में महिलाओं के प्रति बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों का भौगोलिक अध्ययन

Dr. Ritesh Kumar Agrawal*

Assistant Professor, Department of Geography, Seth Mangal Chand Chaudhary Govt. College, Abu Road, Sirohi, Rajasthan

शोध सारांश - अपराध हर समाज और राष्ट्र के लिए एक गंभीर समस्या है। अपराध की यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। जिनमें से बाल अपराध की समस्या और भी भयावह और गंभीर है। कानूनी दण्डिकोण से, अपराध का अर्थ कानून विरोधी कार्य करना है। जब यह अपराध करता है, तो हम इसे बाल अपराधी के रूप में जानते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर अपराधी किसी न किसी नियंत्रण या लाचारी के कारण ही अपराध को अंजाम देते हैं। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिन्हें न तो समाज का डर होता है और न ही राज्य कानून के ऐसे अपराधी गंभीर अपराध करते हैं। इस शोध पत्र में हरियाणा में अपराध, महिला उत्पीड़न और बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति के भौगोलिक कारणों का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द - अपराध का वर्गीकरण, अपराध के भौगोलिक कारण, हरियाणा में बढ़ते अपराध, हरियाणा में महिला उत्पीड़न, विधानसभा के हर सत्र में महिला अपराध का मुद्दा, महिलाओं का उत्पीड़न, जो महिला स्टेशन को रोकने में सक्षम नहीं हैं, जागरूकता के लिए पंजीकृत महिलाएं जारी मामलों और निष्कर्षों।

X

परिचय:

भौगोलिक दण्डिकोण से, एक अपराधी या बाल अपराधी वह होता है जो समूह द्वारा स्वीकृत अधिनियम को लागू करने का दोषी होता है, जो अपने विश्वास को लागू करने की शक्ति रखता है, जो समाज के लिए खतरनाक माना जाता है और यह आवश्यक हो गया है इसे रोक। अनादि काल से समाज में अपराध का अस्तित्व प्रचलित रहा है। प्रारंभिक मानव समाजों में लोकतंत्र, रीति-रिवाजों, नियमों ने व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित किया और इनका उल्लंघन करते हुए, समूह को दंडित करने के लिए निर्धारित किया गया। आधुनिक जटिल समाजों में, किसी व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने पर एक व्यक्ति के व्यवहार को एक आपराधिक अपराध माना जाता है।

हरियाणा में, जिसने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया है, आज बेटियों और महिलाओं को बचाना मुश्किल है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आये दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले बलात्कार और छेड़छाड़ के हैं।

हरियाणा में बेटियों का रहना मुश्किल होता जा रहा है। घर से लेकर बाहर तक अपराधी हर जगह बस घूर रहे हैं। ताजा मामला एक दिन का है जब फरीदाबाद के एक कॉलेज के एक छात्र की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी दिन पानीपत की एक महिला पर धारदार हथियार फेंकने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि महिला ने छेड़छाड़ का विरोध किया, जिसके बाद बदमाशों ने महिला पर तेजाब फेंक दिया। हरियाणा में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए उनका भौगोलिक अध्ययन इस शोध पत्र में किया गया है।

भौगोलिक स्थिति:

हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी सीमाएँ उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान से लगी हुई हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी पूर्वी सीमा को परिभ्राषित करती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तीन तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है और परिणामस्वरूप हरियाणा का

दक्षिणी क्षेत्र योजनाबद्ध विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है।



हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। यह $24^{\circ}39'$ उत्तर से $30^{\circ}55'$ उत्तर में अक्षांशों तक, और देशांतर $7^{\circ}27'$ पूर्व से $4^{\circ}37'$ पूर्व तक फैला हुआ है। राज्य की सीमा उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ है, और दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी पूर्वी सीमा को परिभ्रष्ट करती है। हरियाणा तीन तरफ से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को घेरता है। राज्य का क्षेत्रफल 6,212 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.6 प्रतिशत है, और इस प्रकार यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। समुद्र तल से हरियाणा की ऊँचाई 400 से 3400 फीट (200 मीटर से 1200 मीटर) तक है।

भौगोलिक रूप से, हरियाणा को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है: राज्य के उत्तरी भाग में यमुना-घग्गर मैदान, उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की एक पट्टी, दक्षिण-पश्चिम में बांगर क्षेत्र और अरावली पर्वतमाला के बचे हुए हिस्से दक्षिणी भाग। क्षेत्रिज विस्तार राजस्थान से दिल्ली तक है। राज्य की मिट्टी आमतौर पर गहरी और उपजाऊ होती है। हालांकि, अपवाद उत्तर-पूर्व में पहाड़ी और दक्षिण-पश्चिम में रेतीले क्षेत्रों में हैं। राज्य में अधिकांश भूमि कृषि योग्य है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है।

शोध उद्देश्य:

1. हरियाणा राज्य में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों का अध्ययन किया गया है।

2. हरियाणा राज्य में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया।
3. हरियाणा में प्रसाशन एवं सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

शोध परिकल्पना:

1. हरियाणा में महिला उत्पीड़न में मामले बढ़ रहे हैं।
2. हरियाणा में अपराध रोकथाम हेतु सरकार कार्य कर रही है।

आँकड़ों का संग्रह:

अध्ययन के क्षेत्र के सूक्ष्म अध्ययन के लिए प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया है जो हरियाणा के शहरी क्षेत्रों से लिया गया है। इसके लिए प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार एवं व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों का संग्रह जिला सांख्यकीय विभाग, हरियाणा, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, हरियाणा, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा, जिला कलेक्टर कार्यालय, हरियाणा सरकार, समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों से प्राप्त किये गए हैं।

अपराध का वर्गीकरण

कानूनी दृष्टिकोण से, दो प्रकार के अपराध हैं ----

1. सामान्य अपराध:

सामान्य अपराध वे अपराध हैं जिनसे समाज को बहुत नुकसान होता है। इस तरह के अपराधों में शराब पीना, शराब के साथ झगड़ा करना, यातायात नियमों का उल्लंघन करना, साधारण चोरी करना आदि शामिल हैं, अर्थात्, छोटे अपराधों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। आम अपराधी को कारावास, जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

2. गंभीर अपराध:

गंभीर अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो पूरे समाज को खतरे में डालते हैं। गंभीर अपराधों में आतंकवादी गतिविधियां, हत्या, अपहरण, बलात्कार शामिल हैं। गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों को आजीवन कारावास, या यहां तक कि मौत की सजा भी दी जा सकती है।

कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में अपराध क्यों करता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग जन्म से अपराधी बन जाते हैं, और कुछ लोग परिस्थितियों में बाद में अपराधी बन जाते हैं। अपराध के बारे में, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किसी व्यक्ति के अंदर हीन भावना का विकास आपराधिक भावनाओं को जन्म देता है। अपराध के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं।

अपराध के भौगोलिक कारण:

1. व्यक्तिगत कारण:

अपराध करने के कुछ व्यक्तिगत कारण हैं। जिन बच्चों के माता-पिता आपराधिक व्यवहार में लिप्त हैं, उनके द्वारा अपराध करने की संभावना भी बढ़ जाती है। माता-पिता द्वारा अपने बच्चों की अच्छी परवरिश या आवश्यकताओं की पूर्ति में असफलता, या नैतिक शिक्षा नहीं दे पाना भी एक अपराध हो सकता है।

2. आर्थिक कारण:

गरीबी अपराध के मुख्य कारणों में से एक है। जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करने में खुद को अपमानजनक पाता है, तो वह आपराधिक गतिविधियों की ओर बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए, औद्योगीकरण और सभ्यता के कारण, मलिन बस्तियाँ फलती-फूलती हैं। ग्रामीण रोजगार के लिए उद्योगों में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन कम आय के कारण उनकी पत्नी और बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती है और उचित आवास उपलब्ध नहीं हो पाता है, तब अधिकांश आपराधिक प्रवृत्ति स्थानों में शुरू होती है।

3. परिवारिक और सांस्कृतिक कारक:

परिवार की प्रकृति व्यक्ति के जीवन के संतुलन का आधार है। यदि परिवार संगठित है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर और संतुलित जीवन प्राप्त करने में सफल होता है। लेकिन टूटे और विघटित परिवार संघर्ष और कलह को जन्म देते हैं, जिससे एक व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर और कुत्सित व्यक्तित्व के रूप में कार्य करता है। अधिकांश बाल अपराधी टूटे हुए और विघटित परिवारों से संबंधित हैं। एक संतुलित वैवाहिक जीवन न होने पर भी अपराधी की संभावना बढ़ जाती है। तलाकशुदा और अविवाहित व्यक्तियों की तुलनात्मक रूप से उच्च अपराध दर है।

4. फिल्में:

फिल्मों को मनोरंजन का मुख्य साधन माना जाता है। लेकिन वे व्यक्ति के सामने उच्च आदर्श प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं। बहुत से लोग अपनी अतृप्त कामुकता को शांत करने के लिए फिल्मों में जाते हैं। इन फिल्मों में कई असामाजिक कार्यों को दिखाया गया है, जिसके कारण किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।

5. आंतरिक वातावरण:

अनैतिक वातावरण भी अपराध का कारण हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि से घनी आबादी के कारण घनी बस्तियों का विकास हुआ। ऐसी बस्तियों में, अनैतिक वातावरण की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए, जुआ, शराब और संगठित गिरोह जैसे अपराध ऐसी जगहों पर अधिक पनपते हैं।

6. शारीरिक विकार:

शारीरिक विकारों में अंधे, बहरे और विकलांग लोग या विकृत व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। ऐसे लोगों में हीनता की भावना विकसित होती है और वे आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि करने लगते हैं।

7. मनोवैज्ञानिक कारण:

अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। प्यार में विफलता, सामाजिक जीवन की विफलता, आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता, परिवार में उपेक्षा, समाज द्वारा बहिष्कार आदि जैसे कई कारण हैं, जो व्यक्ति को जीवन में हीनता का अनुभव कराते हैं। इसके कारण व्यक्ति कभी हिंसा या कभी प्रतिशोध और कभी मानसिक आवेग उसके आपराधिक व्यवहार का कारण बन जाता है।

8. सामाजिक अव्यवस्था:

व्यक्ति, परिवार, समिति, संस्था, समूह आदि जैसी विभिन्न इकाइयों से समाज का निर्माण होता है और जब यह अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है, तो समाज बिखरने लगता है। इस प्रकार सामाजिक विघटन की प्रक्रिया समाज में अपराधों को जन्म देती है।

हरियाणा में बढ़ते अपराध:

हरियाणा में बेटियां, महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। यह हरियाणा राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं। सभी दावों और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, पिछले आठ महीनों में महिला अपराध के 4916 मामले सामने आए हैं। इस अवधि के दौरान, जबकि 1758 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, सामूहिक बलात्कार के 95 मामले। इसके अलावा, 2461 मामले किशोर अपराध में विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए थे।

इस साल अगस्त तक, चोरी के मामलों की अधिकतम संख्या 15 हजार 62 थी, जिसके बाद महिला अपराध की संख्या आती है। हर दिन औसतन 41 महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार या उत्पीड़न किया गया। सितंबर 2017 से अगस्त 2018 तक 1413 महिलाओं को लूट लिया गया था। पिछले चार वर्षों में 4593 महिलाओं के सम्मान के साथ खिलाड़ करने के मामले दर्ज किए गए हैं। सितंबर 2014 और अगस्त 2015 के बीच, बलात्कार के 961 मामले थे। अगले वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 1026 और फिर उससे अगले 1193 तक पहुंच गया।


हरियाणा में महिला उत्पीड़न:

ये आंकड़े चैंकाने वाले हैं। आइए पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को तालिका 1 में देखें। वर्ष 2018 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, लड़कियों, किशोरियों और महिलाओं के खिलाफ 4916 अपराध, यानी हर दिन 19 महिलाओं के खिलाफ 19 अपराध किए गए। रिपोर्ट से पता चला कि हरियाणा में हर 5 दिनों में 3 दहेज हत्या के मामले दर्ज किए जाते हैं। वर्ष 2017 में, बलात्कार के 1328 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2018 में, ऐसे मामलों की संख्या 1758 तक पहुंच गई, जबकि 2019 में, मार्च तक 513 मामले। पंजीकृत थे ये आंकड़े प्रेशन कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों में भी लगातार वृद्धि हुई है। 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3267 मामले थे, यानी हर दिन लगभग 15 महिलाओं को किसी न किसी तरह के अपराध का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2016 में 3234 मामले और वर्ष 2017 में 2713 मामले थे। वर्ष 2018 में 4916 मामले और वर्ष 2019 में मार्च तक 1093 मामले दर्ज किए गए थे।

तालिका संख्या :- 1
हरियाणा में महिलाओं के प्रति अपराधों का विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	रेप	हत्या	दहेज उत्पीड़न	कुल योग
01	2014	1292	1688	292	3272
02	2015	1199	1926	242	3267
03	2016	1179	1795	260	3234
04	2017	1328	2141	244	2713
05	2018	1758	2936	222	4916
06	मार्च 2019	513	532	48	1093

स्रोत :- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो



महिला अपराध का मुद्दा विधानसभा के हर सत्र में उठता है

हरियाणा विधान सभा का शायद ही कोई सत्र होगा जिसमें महिलाओं और कानून व्यवस्था के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा न उठता हो। राज्य में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना हर सरकार के लिए एक चुनौती रही है। पिछले मानसून सत्र में भी कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने इस मुद्दे को उठाया था। खास बात यह है कि हरियाणा विधानसभा ने सबसे पहले एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केंद्र सरकार से बारह साल तक के बच्चों की सजा और महिलाओं से दुष्कर्म करने वालों के लिए सख्त कानून बनाने की सिफारिश की गई थी। इसके बावजूद हरियाणा में महिला उत्पीड़न पर अंकुश नहीं लगा है।

महिला थाने भी महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने में असमर्थ हैं

महिला उत्पीड़न को कम करने के लिए सभी जिलों में खोले गए महिला स्टेशन भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए हैं। महिला पुलिस थाना खुलने के बावजूद अपराध की दर बढ़ी। राज्य का खराब लिंग अनुपात महिलाओं के अपराधों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, अशिक्षा और बेरोजगारी भी एक बड़ा कारण है। मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों के अनुसार, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे अपराध को कानूनी डंडों से रोका नहीं जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी और समाज की सोच बदलनी होगी। आरोपियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में एक मजबूत संदेश जाए।

महिलाओं में जागरूकता के साथ दर्ज किए जाने वाले मामले:

हरियाणा पुलिस के निदेशक बीएस संधू के अनुसार, राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ने के बजाय महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है। यही कारण है कि अब महिलाएं उत्पीड़न से संबंधित अपनी शिक्षायतों के साथ महिला पुलिस स्टेशनों तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र महसूस करती हैं। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि अशिक्षा और बेरोजगारी भी महिला अपराध के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं होगी। सभी एसपी को निर्देश दिया गया है कि बलात्कार के मामलों में तत्काल प्रभाव से मामला दर्ज करके पीड़ित को न्याय दिलाएं।

निष्कर्ष:

यह स्पष्ट है कि राज्य में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुक रहे हैं। बलात्कार, छेड़छाड़ और दहेज के मामलों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। स्थिति यह है कि बेटियां अकेले घर छोड़ने से डरती हैं। बेटियों पर गंभीर संदेह है, उनका प्रमाण यह है। ये आंकड़े सवाल उठाते हैं कि क्या हम ऐसा हरियाणा नहीं बना सकते, जिसमें हमारी बहू और बेटियां सुरक्षित माहौल दे सकें। सरकार ने हर जिले में महिला पुलिस थाने खोले, दुर्गा शक्ति ऐप भी शुरू किया, महिला

हेल्पलाइन भी शुरू की गई, लेकिन महिलाओं से अपराध के मामले कम नहीं हुए। तदनुसार, जब हम इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, तो यह संभव है कि राज्य के एक जिले में एक महिला को लूटने की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इसलिए, हरियाणा राज्य में महिलाओं के प्रति आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार और समाज को कठोर कदम उठाने चाहिए।

संदर्भ सूची:

- ग्वालियर-चंबल संभाग का भौगोलिक अध्ययन (जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का PhD Thesis)
- भूगोल - द अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी / ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, फोर्थ एडिशन। ह्यूटन मिफिलन कंपनी।
- एफ जे भिक्षु घर, भौतिक भूगोल-होडर और स्टॉटन लंदन का सिद्धांत 1960।
- सीमन्स द इकोलॉजी ऑफ नेचर रिसोर्सज, एडवर्ड अर्नोल्ड, लंदन 1974
- डॉ एन वी परांजपे द्वारा न्यायशास्त्र और कानूनी सिद्धांत में अध्ययन
- अपराध शास्त्र एवं दण्डशास्त्र: संजीव महाजन, हिंदी बुक सेंटर।
- अपराध शास्त्र: बी एल बाबेल, स्टेट म्युच्युअल बुक एंड पेरिओडिकल सर्विस लि. 1988
- आधुनिक समाज शास्त्र: राजाराम सुधीर देवरे, हिंदी बुक सेंटर।
- आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन: एम एन श्रीनिवास, राजकमल प्रकाशन।
- समाज शास्त्र का परिचय (द्वितीय संस्करण)- डॉ. अशोक डी पाटिल एवं डॉ. एस एस भद्रौरिया, म.प्र. हिंदी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
- भारत का भूगोल: माजिद हुसैन एवं रमेश सिंह।
- भौतिक भूगोल-सविंद्र सिंह, प्रयाग पब्लिकेशन, इलाहबाद ड.प्र.
- कृषि भूगोल-प्रमिला कुमार एवं श्री कमल शर्मा, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी भोपाल सन् 2000 ई।
- आर्थिक भूगोल के मूल तत्व-वी के श्रीवास्तव, वसुंधरा प्रकाशन, दाउदपुर गोरखपुर।

15. मानव भूगोल मामोरिया एवं सिसोदिया, साहित्य भवन आगरा।
16. मध्यप्रदेश का प्रादेशिक भूगोल-प्रमिला कुमार, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
17. जिला गजेटियर इंदौर सन् 1974
18. देशबंधु संदर्भ मध्यप्रदेश 1997-98
19. जिला सांख्यकीय पुस्तिका इंदौर 2014 एवं 2015, मध्यप्रदेश 1997-98
20. समाचार पत्र नई दुनिया, डैनिक भास्कर, इंदौर, भोपाल संस्करण।
21. बाब्स तथा टीटर्स (1959). न्यू होरीजन इन क्रिमीनोलॉजी. प्रिटिक-हाल, पृ.सं. 70
22. लैडिस और लैंडिस, (1955). सोईल लिविंग. न्यूयार्क, पृ.सं. 146
23. इलियट तथा मौरिल (1955). सोशल डिसओर्गेनाईजेशन, हार्पर एण्ड ब्रास, पृ.सं. 91
24. डी.आर., टैफ्ट (1959). क्रिमीनोलॉजी, पृ.सं. 83-84
25. डॉ. नाथ सिंह, वीरेन्द्र, (1988). ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र-दिल्ली: विवेक प्रकाशन. प्रथम संस्करण।
26. मदन, जी.आर. (1986) भारतीय सामाजिक समस्याएं. विवेक प्रकाशन, पृ.सं. 59
27. डॉ. बघेल, डी.एस. (1992). अपराधशास्त्र-दिल्ली: विवेक प्रकाशन, सप्तम संस्करण।
28. डॉ. परांजये, एन.बी. (1982). अपराधशास्त्र एवं आपराधिक न्यास प्रशासन, भोपाल: म.प्र., हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, द्वितीय संस्करण।
29. Use Map of Haryana, Scape Application Centre Govt. of Haryana, Hisar

Corresponding Author

Dr. Ritesh Kumar Agrawal*

Assistant Professor, Department of Geography, Seth Mangal Chand Chaudhary Govt. College, Abu Road, Sirohi, Rajasthan